न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 253/2025

सीसीएमएस नं. :– 2025/358

प्रार्थीगण :–
1. मेहताब पुत्र गिरधारीराम
2. तेजाराम पुत्र गिरधारीराम
3. बुधाराम पुत्र गिरधारीराम

जातियान राईका निवासीगण घोड़ावट तहसील पीपाड़ शहर

बनाम अप्रार्थीगण :–
1. ईशफाक पुत्र सफी मोहम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी घोड़ावट
2. असकर पुत्र जवरूदीन
3. समसुदीन पुत्र जवरूदीन जातियान तेली मुसलमान निवासीगणा टालनपुर तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर
4. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खवासपुरा
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दर्ज दिनांक :–22/07/2025

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से ।
श्री रामदयाल चौधरी अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 24/12/2025

प्रार्थीगण ने एक ने राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं तरमीम दुरूस्ती हेतु पेश कर दिया है। प्रार्थीगण वादीगण ग्राम घोडावट के स्थायी मूल निवासी है। ग्राम घोड़ावट की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 804/10 रकबा 15 बीघा भूमि आई हुई है जिसके सर्वे रिसर्वे (पुर्नसेटलमेन्ट) में नये खसरा नम्बर 713 क्षेत्रफल 2.4467 हैक्टेयर है। उक्त भूमि की सबूत में नकल जमाबन्दी व नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। ग्राम घोड़ावट की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 714 क्षेत्रफल 1.2555 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 704 क्षेत्रफल 0.4855 हैक्टेयर किस्म बारानी खसरा नम्बर 716 क्षेत्रफल 8.8977 हैक्टेयर किस्म गै मु. चारागाह व खसरा नम्बर 701 क्षेत्रफल 16.6226 हैक्टेयर किस्म गै.मु चारागाह भूमि आई हुई है जिसके सर्वे–रिसर्वे (पुर्नसेटलमेन्ट) से पहले मूल खसरा नम्बर 804 था, उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि की सबूत में नकल जमाबन्दी व नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। मूल खसरा नम्बर 804 में वादीगण के पिता गिरधारीराम की आवटनसुदा भूमि 15 बीघा है। जिस पर वादीगण के रहवासीय मकान बने हुए है। भेड़–बकरियों को बाँधने हेतु बाडे वगैराह बनाये हुए है शेष भूमि में काश्त कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आये है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का मालिक की हैसियत से स्थापित कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाद रूप से चला आ रहा है प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 के मौके पर पड़ौस उत्तर में– चारागाह भूमि खसरा नम्बर 716 की भूमि है।दक्षिण में चारागाह भूमि खसरा नम्बर 701 की भूमि है, जिसके पहले मूल खसरा नम्बर 804 की चारागाह भूमि है।पूर्व में चारागाह भूमि है। पश्चिम में आम रास्ता सडक खसरा नम्बर 715 है। उपरोक्त वर्णित पडौसियान के मध्य स्थित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त पीढीयों से चला आ रहा है। जिसको संलग्न नजरी नक्शे में मार्क अ. ब. स. द. के मध्य दर्शाया गया है। अभी हाल ही में हुए सर्वे–रिसर्वे (पुर्नसेटलमेन्ट) में वादग्रस्त भूमि की नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है। तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष एक अलग से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। मूल खसरा नम्बर 804 के किसी भी भाग पर पीरबक्स पुत्र कुम्बबक्स का कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी खसरा नम्बर 804 में से 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व 03 बीघा भूमि सरासर गलत तरीके से आवंटन करवाकर गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया है जबकि पीरबक्स ग्राम घोडावट का निवासी ही नहीं है। पीरबक्स अन्यत्र जगह का निवासी होगा, जिसका खसरा नम्बर 804 के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं रहा है। पीरबक्स का खसरा नम्बर 804/4 व 804/18 की भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में हुए गलत अमल दरामद की आड़ में उक्त भूमि पीरबक्स ने जरिये दानपत्र के अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पक्ष में करवा दी है। उक्त खसरा नम्बर 804 के लट्ठा नक्शा में तरमीम की हुई नहीं है। खसरा नम्बर 804/4 जिसके नये खसरा नम्बर 714 पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। खसरा नम्बर 804/18 जिसके नये खसरा नम्बर 704 पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का 11 बीघा भूमि पर कब्जा है एवं मौके पर बाजरी की फसल बोई हुई है। ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करते समय एवं पुर्नसेटलमेन्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 व 704 की सरासर गलत तरमीम की गई है जिसे निरस्त फरमाई जावें। अभी हाल ही में हुए सर्वे–रिसर्वे (पुर्नसेटलमेन्ट) के पर्चा नोटिस वादीगण को प्राप्त नहीं हुए है प्रार्थीगण के बाले बाले ही सर्वे टीम ने ऑफिस में बैठे बैठे ही मौके पर किसी प्रकार का भौतिक सत्यापन किये बिना गुगल मैप नक्शे को आधार बनाकर वादग्रस्त भूमि सरासर गलत तरमीम की गई है। वादग्रस्त भूमि की गलत तरमीम के पश्चिम में खसरा नम्बर 716 गै मु चारागाह व खसरा संख्या 714, 701 की भूमि की गलत तरमीम की गई है जिस तरमीम को निरस्त फरमाई जावें एवं प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जायें। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 716 व 714, 701 की भूमि पर आम रास्ता तक कब्जाकाश्त चला आ रहा है इसलिए वादग्रस्त भूमि की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त अनुसार ही की जाकर पुर्नसेटमेंट व ऑनलाईन में की गई गलत तरमीम को निरस्त फरमायें। प्रार्थीगण का उपर अंकित पड़ौसियान के मध्य मौके पर कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उसी अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें। वादग्रस्त भूमि की गलत तरमीम हो जाने से वादग्रस्त भूमि में बने रहवासीय मकान व बाड़े खसरा नम्बर 716 व 714, 701 की भूमि में आ रहे है इसलिए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 की तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार ही की जावें। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 क्षेत्रफल 2.4467 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जेकाश्त अनुसार एवं मौके पर किये गये कच्चे पक्के निर्माण को मध्यनजर रखते हुए तरमीम दुरूस्त करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थी संख्या एक जे.सी.बी. मशीन लेकर प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 पर आया एवं जे.सी.बी मशीन से सफाई करने लगा जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी की जेसीबी मशीन रूकवाकर कहा कि आप हमारी पीढीयों से कब्जेकाश्त की भूमि में जे.सी.बी. मशीन क्यों चला रहे हो जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हमारे खसरा नम्बर 714 की तरमीम हो रखी है इसलिए तरमीम अनुसार ही अप्रार्थी संख्या एक से तीन खसरा नम्बर 714 पर जबरन कब्जा करके रहेंगें। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक से समझाईस की कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के पश्चिम में आम रास्ता सडक तक स्थित है जिस पर आपका कभी भी कब्जा नहीं रहा है आप लोग गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 में जेसीबी मशीन चलाने का एवं वादीगण को बेदखल करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है आप अप्रार्थी संख्या एक से तीन का खसरा नम्बर 804 व 701 की 11 बीघा भूमि पर एक चक में कब्जा है। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने ऐलानिया धमकी दी कि मौका मिलते ही वादीगण की कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगा। खसरा नम्बर 714 का अजनबी व्यक्तियों को बेचान हस्तान्तरण करके रहेंगें, जबकि अप्रार्थी संख्या एक से तीन को ऐसा करने कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है जिन्हें न्यायहित में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सहदायगी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात् एवं बाड़े बने हुए है वादग्रस्त भूमि नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क अ, ब, स. द पर प्रार्थीगण का उनके पिता के समय से स्थापित कब्जा व उपयोग उपभोग मालिक की हैसियत से चला आ रहा हैअगर ऑन लाईन हुई तरमीम एवं सर्वे–रिसर्वे में हुई गलत तरमीम की आड़ में अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो एवं प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका नहीं जा सकेगा एवं प्रार्थीगण के जायज खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान एवं अन्तिम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय तक प्रार्थीगण के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि ग्राम घोडावट की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 क्षेत्रफल 2.4467 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थना पत्र के पद संख्या चार में वर्णित पडौसियान के मध्य स्थित है, के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करे न किसी अन्य से करावे, खसरा नम्बर 713 की गलत तरमीम की गई है जिसे निरस्त फरमाया जावें एवं प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त अनुसार खसरा नम्बर 713 की तरमीम दुरूस्त फरमावें, खसरा नम्बर 714 व खसरा नम्बर 701, 716 की तरमीम निरस्त फरमाई जाकर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार ही खसरा नम्बर 713 की तरमीम दुरुस्त की जावें राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखें। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 की गलत तरमीम की आड़ में खसरा नम्बर 714 का बैचान हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हों प्रार्थीगण के में अता फरमावें ।

हमने राजस्व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। पूर्व में उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 22/07/2025 को अस्थाई अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता रामदयाल चौधरी ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार ग्राम घोडावट की राजस्व सीमा में अप्रार्थी संख्या एक से तीन की भूमि खसरा नबंर 714 क्षेत्रफल 1.2555 हेक्टेयर किस्म बारानी आई हुई है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पूर्वज के नाम से आंवटनशुदा भूमि रही है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि खसरा नबंर 713 के गलत पडौस अंकित किये है। उक्त भूमि खसरा नबर 713 के पश्चिम में आम रास्ता सडक खसरा नबंर 715 नही होकर खसरा नबंर 701 की भूमि है। सर्वे रिसर्वे की वादग्रस्त भूमि की तरमीम कब्जें अनुसार हो रखी है। प्रार्थीगण सर्वे रिसर्वे की आड़ में अपनी भूमि खसरा नबंर 713 को सडक पर बताकर तरमीम करवाना चाहते है जिनका प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन की भूमि 714 वर्तमान तरमीम अनुसार मौके पर विद्यमान है। उक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पूर्वज पीरबक्स पुत्र कुम्बक्स काबिज थे तथा उक्त भूमि में भेड पालन इत्यादि कर अपना जीवन यापन करते थे तथा उनके लगातार निर्बाध कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का आंवटन पीरबक्स के नाम किया गया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन अपने पूर्वज के साथ ही निवास करते आये है। पीरबक्स से उक्त भूमि खसरा नबंर 714 अप्रार्थी संख्या एक से तीन को प्राप्त हुई। इस प्रकार अप्रार्थी सख्या एक से तीन उक्त खसरा नबंर 714 पर चिरकाल से काबिज है तथा अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है। उक्त खसरा नबर 714 की तरमीम सम्वत् 2081 के सर्वे अनुसार अप्रार्थी संख्या एक से तीन के कब्जे की भूमि पर सही व विधिवत रूप से की गई है जिसको प्रार्थीगण निरस्त करवाने के कतई अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का कभी भी खसरा नबंर 714 पर कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक से तीन के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या एक से तीन काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। सर्वे रिसर्वे की तरमीम कब्जे की जांच कर की गई है एव मौके पर कब्जे अनुसार की गई है जिसे प्रार्थीगण निरस्त करवाने के कतई अधिकारी नही है। प्रार्थीगण येन केन प्रकरेण अपनी भूमि को रास्ते के पास गलत तरमीम करवाना चाहते है जिनका प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के रहवासीय मकान बाडे कतई खसरा नबंर 714 की भूमि में नहीं है। वादग्रस्त भूमि खसरा नबंर 714 की तरमीम अप्रार्थी संख्या एक से तीन के कब्जे अनुसार सही हो रखी है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन का भूमि खसरा नबंर 714 पर अपने पूर्वज के समय से कब्जा रहा है जहां प्रार्थीगण का एक इंच भूमि पर कब्जा नहीं है। दिनांक 15.7.2025 को अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण से मिलें ही नहीं तो धमकियों देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण का खसरा नबंर 714 पर कभी कब्जा ही नही रहा है तो बेदखल करने की धमकियों देने की बात अपने आप में हास्यास्पद है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या एक से तीन की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी पैदा करने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य खसरे के खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यहां पर यह अंकित करना आवश्यक है कि प्रार्थीगण ने उक्त वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जबकि एलआर एक्ट व टीनेसीं एक्ट एक वाद के जरिये साथ साथ नहीं चल सकते है। इस बिनाय पर भी उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है। भूमि खसरा नबंर 714 की तरमीम अप्रार्थी संख्या एक से तीन के कब्जें अनुसार सही हो रखी है जहां आज भी अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कब्जा चला आ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

रहा है जिसमे प्रार्थीगण का एक इंच भूमि पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियों देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण ने उक्त पद में अपना वाद कारण की नियत से तथ्य अंकित किये है जबकि प्रार्थीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए वाद कारण के अभाव में उक्त वाद खारिज किया जावे। प्रार्थीगण है जो प्रार्थीगण कतई प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्योकि भूमि खसरा नबंर 714 की तरमीम अप्रार्थी संख्या एक से तीन के कब्जें अनुसार सही हो रखी है जहां आज भी अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कब्जा चला आ रहा है जिसमे प्रार्थीगण का एक इंच भूमि पर कब्जा नही है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट लगाकर खारिज किया जावे। अतः जवाब दावा मय शपथपत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बनावटी, आधारहीन, गलत तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज फरमाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावें।

वकील प्रार्थीगण ने अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने प्रार्थना पत्र से हटकर अपने जवाब जवाब प्रार्थना पत्र मे अतिरिक्त कथन व नये तथ्य अंकित किये है जिनका न्यायहित में जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र के जरिये खण्डन किया जाना अति आवश्यक व लाजमी है नहीं तो न्यायालय हाजा के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं हो सकेंगी इसलिए न्यायहित में जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र के जरिये अतिरिक्त कथन व नये तथ्यों का खण्डन किया जाना आवश्यक व लाजमी है नहीं तो अतिरिक्त तथ्य व नये कथन प्रार्थीगण के विरूद्ध पढे जायेंगें। अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र से हटकर अतिरिक्त कथन / नये तथ्य अंकित किये कि खसरा नम्बर 714 अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पूर्वज के नाम से आवंटनसुदा भूमि है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 के गलत पड़ौस अंकित किये है। सर्वे–रिसर्वे की वादग्रस्त भूमि की तरमीम कब्जे अनुसार हो रखी है। खसरा नम्बर 713 को सड़क पर बताकर तरमीम करताना चाहते है। खसरा नम्बर 714 तरमीम अनुसार मौके पर विद्यमान है पूर्वज पीरबक्स पुत्र कुम्बक्स काबिज थे तथा उक्त भूमि में भेड़ पालन इत्यादि कर अपना जीवन यापन करते थे। कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन पीरबक्स के नाम किया गया अप्रार्थी संख्या एक से तीन अपने पूर्वज के साथ ही निवास करते है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन उक्त खसरा नम्बर 714 पर चिरकाल से काबिज है। प्रार्थीगण का कमी भी खसरा नम्बर 714 पर कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण के रहवासीय मकान बाडे कतई खसरा नम्बर 714 की भूमि में नहीं है प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 714 पर कमी कब्जा नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य खसरे के खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जबकि एल.आर.एक्ट व टिनेन्सी एक्ट एक वाद के जरिये साथ साथ नहीं चल सकते हैं। व अन्य तथ्य अंकित किये है। जिनका न्यायहित में खण्डन किया जाना अति आवश्यक व लाजमी है नहीं तो उक्त गलत नये तथ्य प्रार्थीगण के विरूद्ध पढे जायेंगें इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण को जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमती प्रदान करावें। अप्रार्थी संख्या एक से तीन द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र का प्रार्थीगण द्वारा जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र नही दिया गया तो न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति नही आ सकेगी एवं न्याय निर्णय करने में बाधा आयेगी तथा कानूनन प्रार्थीगण को अधिकार है कि गलत तथ्यो का जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र के जरिये खंडन किया जाकर वास्तविक तथ्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकट किये जा सके इसलिए न्यायहित मे प्रार्थीगण को जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति फरमावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय से विन्नम निवेदन है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान करावे, एवं संलग्न जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश फरमावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने पर जवाबुल जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 804/4 व खसरा नम्बर 804/18 वाली भूमि नक्शे में पहले तरमीम नहीं थी मौके पर उक्त भूमि पर पीरबक्स का कोई कब्जा नहीं था पीरबक्स ने उक्त दोनो खसरान् की भूमियां अप्रार्थी संख्या एक से तीन को दान कर रखी है। अभी हाल ही मे हुए सर्वे–रिसर्वे में अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने खसरा नम्बर 704 व 714 की गलत तरमीम करवाई है मौके पर खसरा नम्बर 704 पर व खसरा नम्बर 704 के उत्तर व पश्चिम में स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 701 पर अप्रार्थी सख्या एक से तीन का कब्जा है। मौके पर एक चक में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

करीब 11 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कब्जा है जिसके चारो तरफ बाड व पत्थरो की दीवार निकाल कर चारदीवारी की हुई है। जिसमें अप्रार्थी संख्या एक से तीन की गवार की फसल मौके पर खड़ी है। खसरा नम्बर 714 की गलत तरमीम की जगह अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण की भूमि की सर्वे–रिसर्वे में गलत तरमीम हो रखी है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र के में वर्णित पड़ौसियान के मध्य ही प्रार्थीगण का 15 बीघा भूमि पर कब्जा है जिसमें प्रार्थीगण के मकान व बाड़े बने हुए है। सर्वे–रिसर्वे में प्रार्थीगण की भूमि की कब्जे अनुसार तरमीम नहीं हो रखी है। तथाकथित खसरा नम्बर 714 वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, कब्जाकाश्त पीढीयों से प्रार्थीगण का चला आ रहा है। वादपत्र में अंकित तथ्य सही है। पीरबक्स ग्राम घोड़ावट का निवासी नहीं रहा है अन्यत्र जगह का निवासी है। पीरबक्स ने कभी भी भेड़ पालन नहीं किया है मात्र घाणी का कार्य करता था, पीरबक्स ने खसरा नम्बर 804 में दो सरासर गलत आवंटन करवाये है जबकि पीरबक्स का खसरा नम्बर 804 के किसी भी भाग पर कब्जाकाश्त नहीं था। पीरबक्स ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करके 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व 03 बीघा भूमि सरासर गलत तरीके से आवंटन करवाकर पीरबक्स ने अप्रार्थी संख्या एक से तीन को उक्त भूमि जरिये दानपत्र के दे दी, जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का भी कब्जा नही रहा है। अभी हाल ही में हुए सर्वे–रिसवें (पुर्नसेटलमेन्ट) में अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने प्रार्थीगण की कब्जे वाली भूमि पर खसरा नम्बर 714 गलत तरमीम करवाई है व जबकि खसरा नम्बर 704 व 704 के उत्तर व पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 701 चारागाह की भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का करीब 11 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त है जिसमें बाजरी, गवार, मूंग की फसल बोई हुई है। अप्रार्थी संख्या दो व तीन ग्राम घोड़ावट में निवास ही नहीं करते हैं। इसलिए अप्रार्थी संख्या दो व तीन का मौके पर कब्जा ही नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन का यह कथन गलत है कि खसरा नम्बर 714 पर चिरकाल से काबिज है। जबकि वास्तविकता में गलत तरमीम की जगह पीढीयों से वादीगण का ही कब्जा है। अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। सर्वे अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि गलत तरमीम की गई है एवं प्रार्थीगण की भूमि की भी गलत तरमीम की हुई है। तथाकथित गलत तरमीम खसरा नम्बर 714 की जगह पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कभी भी कब्जा नहीं रहा है वादग्रस्त आराजी मार्क अ. ब. स. द पर पीढीयों से प्रार्थीगण का ही कब्जाकाश्त रहा है जिसमें प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात, बाड़े वगैराह बने हुए है एवं प्रार्थीगण की जवार की फसल बोई हुई है। सर्वे–रिसर्वे में कब्जे अनुसार तरमीम की हुई नहीं है सरासर गलत तरमीम की हुई है। गलत तरमीम की आड़ में अप्रार्थी संख्या एक से तीन को प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर भू–मफियों के ईशारे पर कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण अपने कब्जे अनुसार ही वादग्रस्त भूमि मार्क अ. ब. स. द तरमीम करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी मार्क अ. ब. स. द पर प्रार्थीगण का ही पीढीयों से कब्जा है जिसमें प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात व बाडे बने हुए है जिस पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। खसरा नम्बर 714 पर न तो कभी पीरबक्स का कब्जा रहा है एवं न ही अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कब्जाकाश्त रहा है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कब्जा खसरा नम्बर 704 व उसके पास स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 701 की करीब 11 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त है। दिनाक 15.07.2025 को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा धमकी देने पर ही प्रार्थीगण ने उक्त वाद पेश किया है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन को गलत तरमीम की आड में प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी मार्क अ. व. स. द पर अवैध कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन को गलत तरमीम की आड में प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या एक से तीन को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है। भू–राजस्व अधिनियम व काश्तकारी अधिनियम दोनो की कार्यवाही एक वाद के जरिये की जा सकती है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी मार्क अ. ब. स. द पर जब अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कब्जा ही नहीं है इसलिए खसरा नम्बर 714 की तरमीम सरासर गलत की हुई है जिसे निरस्त फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या एक से तीन भू–माफियों से मिलीभगती करके गलत तरमीम की जगह प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है एवं प्रार्थीगण को वादकारण उत्पन्न होने पर ही उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से माफिक इस्तदुआ राहत पाने के अधिकारी है। अतः जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायलय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माफिक इस्तदुआ स्वीकार फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बीपाड़ शहर (जोधपुर)

अप्रार्थी संख्या 04 का समन बाद तामिल अनुपस्थित जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार द्वारा न्यायालय में जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम घोड़ावट के ख न पुराना 804/10 व नया ख न 714 रकबा 1.2555 मौके पर असकर समसुदीन पिता जवरूदीन व ईशफाक पुत्र सफी मोहम्मद जाति तेली द्वारा काश्त की गई फसल बोई हुई है। राजस्व रेकर्ड में सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 21 में ख न 804/4 रकबा 1.2135 पर असकर, समसुदीन पिता जसवरूदीन व ईशफाक पुत्र सफी मोहम्मद जाति तेली दर्ज है। सर्वे रिसर्वे जमाबंदी सम्वत 2081 के खाता संख्या 21 भी दर्ज है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के प्रकरण संख्या 253/2025 दिनांक 22/07/2025 यथास्थिति का नोट अंकित है।। पुराना भू प्रबंध विमाग नक्शा सीट परत पटवार का अवलोकन करने पर ख न 804/4 जो नवीन सर्वे रिसर्वे में ख न 714 दर्ज है उसी जगह पर प्रदर्शित है, उक्त ख न 804/4 के दक्षिण पूर्व में 804/10 जो सर्वे रिसर्वे में नवीन ख न 713 दिये गये जो जमाबंदी सम्वत 2081 के खाता संख्या 137 पर प्रार्थीगण के नाम से खातेदार दर्ज है। अतः मौका निरीक्षण व राजस्व रेकर्ड अवलोकन से पुराना ख न 804/4 व 804/10 जो नये ख न क्रमशः 714 व 713 पूर्व नक्शे के अनुसार सही जगह पर अंकित है।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की जिसके अनुसार न्यायालय हाजा के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम घोडावट की राजस्व सीमा में बीघा भूमि आई हुई है जिसके नये खसरा नम्बर 804/10 रकबा 15 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 713 क्षेत्रफल 2.4467 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसको प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। खसरा नम्बर 714 क्षेत्रफल 1.2555 हैक्टेयर खसरा नम्बर 704 क्षेत्रफल 0.4855 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 716 क्षेत्रफल 8.8977 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 701 क्षेत्रफल 16.6226 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसके सर्वे–रिसर्वे से पहले मूल खसरा नम्बर 804 था जिसको वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। मूल खसरा नम्बर 804 में प्रार्थीगण के पिता गिरधारीराम जी को 15 बीघा भूमि आवंटन की जिस पर प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात् बने हुए है, भेड बकरियों को बाँधने हेतु बाड़े वगैराह बने हुए है। जिस पर प्रार्थीगण का स्थापित कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 के मौके पर पड़ौस उत्तर में चारागाह भूमि खसरा नम्बर 716 की भूमि है। दक्षिण में चारागाह भूमि खसरा नम्बर 701 जिसके पहले मूल खसरा नम्बर 804 चारागाह भूमि है। पूर्व में चारागाह भूमि है। पश्चिम में आम रास्ता सडक खसरा नम्बर 715 है। उपरोक्त वर्णित पड़ौसियान के मध्य स्थित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त पीढीयों से चला आ रहा है जिसको संलग्न नजरी नक्शे में मार्क अ. ब. स. द के मध्य दर्शाया गया है। अभी हाल ही में हुए सर्वे–रिसर्वे में व ऑनलाईन तरमीम करते समय वादग्रस्त भूमि की नक्शे गलत तरमीम कर दी गई है। मूल खसरा नम्बर 804 के किसी भी भाग पर पीरबक्स पुत्र कुम्बबक्स का कब्जाकाश्त नहीं होते हुए भी खसरा नम्बर 804 में से स्थित 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व 03 बीघा भूमि गलत आवंटन करवाकर गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया, जबकि पीरबक्स ग्राम घोड़ावट का निवासी ही नहीं है। पीरबक्स टालनपुर का निवासी है पीरबक्स का खसरा नम्बर 804/4 व 804/18 की भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में हुए गलत अमल दरामद की आड़ में उक्त भूमि पीरबक्स ने जरिये दानपत्र के अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पक्ष में करवा दी है। खसरा नम्बर 804 के लट्ठा नक्शा में अप्रार्थीगण की भूमि की तरमीम की हुई नहीं है। खसरा नम्बर 714 पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है खसरा नम्बर 704 व पास में स्थित भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का 11 बीघा भूमि पर कब्जा है एवं मौके पर बाजरी की फसल बोई हुई है। पुर्नसेटलमेंन्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 714 व 704 की सरासर गलत तरमीम की गई है जिसे निरस्त फरमाई जावें। पुर्नसेटलमेन्ट के पर्चा नोटिस प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुए है प्रार्थीगण के बाले बाले ही सर्वे टीम ने ऑफिस में बैठेबैठे ही मौके पर किसी प्रकार का भौतिक सत्यापन किये बिना ही वादग्रस्त भूमि की सरासर गलत तरमीम की गई है। वादग्रस्त भूमि की गलत तरमीम के पश्चिम में खसरा नम्बर 716 गै.मु. चारागाह व खसरा नम्बर 714. 701 की भूमि की गलत तरमीम की गई है जिस तरमीम को निरस्त फरमाई जावें प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जायें। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 716, 714 व 701 की भूमि पर आम रास्ता सडक तक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त अनुसार ही तरमीम दुरूस्त की जावें। वादग्रस्त भूमि की गलत

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तरमीम हो जाने से वादग्रस्त भूमि में बने रहवासीय मकान व बाडे खसरा नम्बर 716, 714 व 701 की भूमि में आ रहे है इसलिए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 की तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार ही की जावें। दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थी संख्या एक जेसीबी मशीन लेकर प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 पर आया व जेसीबी मशीन से सफाई करने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी की जे.सी.बी. मशीन रूकवाकर कहा कि आप हमारी पीढीयों से कब्जेकाश्त की भूमि में जे सीबी मशीन क्यों चला रहे हो जिस पर अप्रार्थी ने एलानिया धमकी दी कि हमारे खसरा नम्बर 714 की तरमीम हो रखी है. तरमीम अनुसार ही जबरन कब्जा करके रहेंगें। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 704 व 701 की 11 बीघा भूमि पर एक चक में कब्जा है. इसलिए अप्रार्थीगण को न्यायहित में जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है वादग्रस्त भूमि पर मकानात् व बाड़े बने हुए है वादग्रस्त भूमि मार्क अ. ब. स. द पर प्रार्थीगण का स्थापित कब्जा उपयोग उपभोग मालिक की हैसियत से चला आ रहा है अगर ऑनलाईन हुई तरमीम व सर्वे रिसर्वे में हुई गलत तरमीम की आड़ में अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो एवं प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी,जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका नहीं जा सकेगा एवं प्रार्थीगण के जायज खातेदारी अधिकारों का हनन होगा एवं अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि ग्राम घोड़ावट की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 क्षेत्रफल 2. 4467 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थनापत्र में वर्णित पड़ौसियान के मध्य स्थित है के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करें न किसी अन्य से करावें। खसरा नम्बर 713 की गलत तरमीम की गई है जिसे निरस्त फरमाई जावें एवं प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त अनुसार खसरा नम्बर 713 की तरमीम दुरूस्त फरमायें। खसरा नम्बर 714 व खसरा नम्बर 701, 716 की तरमीम निरस्त फरमाई जाकर, प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त अनुसार ही तरमीम दुरूस्त की जावें एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौका की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखें। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 714 की गलत तरमीम की आड़ में खसरा नम्बर 714 का बेचान हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि खसरा नम्बर 714 अप्रार्थी संख्या एक से तीन की भूमि है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पूर्वज के नाम से आवंटनसुदा भूमि रही है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 713 के गलत पड़ौस अंकित किये है। खसरा नम्बर 713 के पश्चिम में आम रास्ता सड़क खसरा नम्बर 715 नहीं होकर खसरा नम्बर 701 की भूमि है, तरमीम सही की हुई है। खसरा नम्बर 714 वर्तमान तरमीम अनुसार ही मौके पर विद्यमान है अप्रार्थीगण के पूर्वज पीरबक्स काबिज थे तथा उक्त भूमि में भेड पालन इत्यादि कर अपना जीवन यापन करते थे। खसरा नम्बर 714 की तरमीम सम्वत् 2081 के सर्वे अनुसार अप्रार्थी के कब्जे की भूमि पर सही व विधिवत् रूप की गई है। जिसको प्रार्थीगण निरस्त करवाने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 714 पर कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। सर्वे–रिसर्वे की तरमीम कब्जे की जांच कर दी गई है एवं मौके पर कब्जे अनुसार की गई है। प्रार्थीगण के रहवासीय मकान बाड़े कतई खसरा नम्बर 714 की भूमि में नहीं है। दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण से मिले ही नहीं तो धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या एक से तीन की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी पैदा करने व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का वाद एल. आर एक्ट व टिनेन्सी एक्ट एक वाद के जरिये साथ साथ नहीं चल सकते। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन नहीं बनता है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 714 पर चिरकाल से काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र का प्रार्थीगण ने जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र के जरिये जरिये खण्डन कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 804/4 व खसरा नम्बर 804/18 वाली भूमि नक्शे में पहले तरमीम नहीं थी। मौके पर उक्त भूमि पर पीरबक्स का कोई कब्जा नहीं था पीरबक्स ने उक्त दोनो खसरान् की भूमियां अप्रार्थी संख्या एक से तीन को दान कर रखी है। खसरा नम्बर 704, 714 की गलत तरमीम करवाई है मौके पर खसरा नम्बर 704 पर व खसरा नम्बर 704 के उत्तर व पश्चिम में स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 701 अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कब्जा है। जिसके चारो तरफ बाड़ व पत्थरो की दीवार निकाल कर चारदीवारी की हुई है जिसमें गवार की फसल मौके पर खड़ी है खसरा नम्बर 714 की गलत तरमीम की जगह अप्रार्थी संख्या एक से तीन का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि मार्क अ. ब. स. द, पर प्रार्थीगण का 15 बीघा भूमि पर कब्जा है जिसमे प्रार्थीगण के मकान व बाड़े बने हुए है, खसरा नम्बर 714 पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पीरबक्स ग्राम घोड़ावट का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

निवासी नहीं होकर ग्राम टालनपुर तहसील मेड़ता सिटी का निवासी है। पीरबक्स ने कभी भी भेड़ पालन नहीं किया है, मात्र घाणी का कार्य करता था, पीरबक्स ने खसरा नम्बर 804 में दो सरासर गलत आवंटन करवाये है जबकि पीरबक्स का खसरा नम्बर 804 के किसी भी भाग पर कब्जाकाश्त नहीं था। पीरबक्स ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगती करके 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व 03 बीघा भूमि सरासर गलत तरीके से आवंटन करवाकर पीरबक्स ने अप्रार्थी सख्या एक से तीन को उक्त भूमि जरिये दानपत्र के दे दी. जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का भी कब्जा नहीं रहा है। खसरा नम्बर 704 व पास में स्थित खसरा नम्बर 401 चारागाह की भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन का करीब 11 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्तं है जिसमें बाजरी, गवार, मूंग की फसल बोई हुई है। अप्रार्थी संख्या दो व तीन ग्राम घोडावट में निवास ही नहीं करते है। अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 714 पर चिरकाल से कब्जा नहीं है। गलत तरमीम की आड़ मे प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है। वादग्रस्त आराजी मार्क अ. ब. स. द पर पीढीयों से प्रार्थीगण का ही कब्जाकाश्त रहा है जिसमें प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात् बाड़े वगैराह बने हुए है एवं प्रार्थीगण की जवार की फसल बोई हुई है। गलत तरमीम की आड़ में अप्रार्थी संख्या एक से तीन व प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर भू–माफियो के ईशारे पर कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है प्रार्थीगण अपने कब्जे अनुसार ही वादग्रस्त भूमि मार्क अब स. द की तरमीम करवाना चाहते हैं। दिनांक 15.07. 2025 को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा धमकी देने पर ही प्रार्थीगण ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या एक से तीन को गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी मार्क अ. ब. स. द पर अवैध कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात व बाड़े वगैराह बने हुए है अगर अप्रार्थी संख्या एक से तीन ने गलत तरमीम की आड में भू–माफियो के ईशारे पर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 714 का बेचान हस्तान्तरण कर दिया तो वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने वाद व प्रार्थनापत्र के विचारण के दौरान नामान्तरकरण संख्या 146 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जिसमें पीराराम पुत्र कुम्बाराम खसरा नम्बर 804 में से 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि से आवंटन का इन्द्राज किया हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 146 अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2028 में पीराराम पुत्र कुम्बाराम के नाम से इन्द्राज कर रखा है जो इन्द्राज सम्वत् 2041 की जमाबन्दी में भी पीराराम के नाम से खसरा नम्बर 804/4 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा इन्द्राज है। इसके पश्चात् पीरबक्स ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करके सम्वत् 2045 की जमाबन्दी में पीराराम के स्थान पर पीरबक्स गलत इन्द्राज करवा दिया। पीरबक्स ने 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं 03 बीघा भूमि का अलग से आवंटन गलत करवाया है एवं पीरबक्स का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया है एवं प्रार्थी संख्या एक से तीन ने सर्वे–रिसर्वे में राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करके प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर गलत तरमीम करवाई है। ग्राम टालनपुर तहसील मेडता सिटी की चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 के खाता संख्या 58 गफूर पीरा, अन्ना, मुनीर नजीर जीया शौकीन पी कुम्बा के नाम से खसरा नम्बर 761, 436, 438, 941 946, 947 948, 943, 135, 16 कुल खसरा 10 कुल रकबा 73 बीघा 06 बिस्वा भूमि खातेदारी में इन्द्राज है। पीरबक्स पुत्र कुम्बबक्स ग्राम टालनपुर का निवासी होने से एवं ग्राम टालनपुर में पीरबक्स की खातेदारी भूमि होने से ग्राम घोड़ावट में पीरबक्स को अपने नाम से भूमि आवंटन करवाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। पीरबक्स ने 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व 03 बीघा भूमि के दो अलग अलग आवंटन गैर कानूनी तरीके से करवाये है जो आवंटन विधिविरूद्ध व गैर कानूनी होने से आवंटन आदेश शुरू से ही प्रभावशून्य है। अप्रार्थीगण ने पीरबक्स के पक्ष में हुए तथाकथित आवंटन आदेश की कॉपी भी न्यायालय में पेश नहीं की है। अप्रार्थीगण गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थीगण के कब्जे वाली वादग्रस्त भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने की फिराक में है इसलिए न्यायाहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है नहीं तो आगे से आगे बेचान होने से कानूनी पैचिदगिया बढ़ जायेगी एवं वादो की बहुलता बढेगी व ज्यादा विवाद होगा। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आस पास के ग्रामवासियो के शपथ पत्र पेश किये है एवं मौके के फौटोग्राफ्स पेश किये है जिसमें प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात् व बाड़े पश्चिम में स्थित आम रास्ता सडक के चिपते है। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य मे नामान्तरकरण संख्या 146 एवं चौसाला जमाबन्दियो की प्रतियां पेश की है जिसमें 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि पीराराम पुत्र कुम्बाराम के नाम से इन्द्राज है। जिसको अप्रार्थीगण हड़पना चाहते है ग्राम टालनपुर की जमाबन्दियो से भी स्पष्ट है कि पीरबक्स ग्राम टालनपुर का स्थायी मूल निवासी है एवं पीरबक्स के नाम से खातेदारी भूमियां रेकर्ड में इन्द्राज है इसलिए ग्राम घोड़ावट में पीरबक्स के नाम से भूमि का आवंटन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पीराराम के नाम हुए आवंटन वाली भूमि अप्रार्थीगण हड़पना चाहते है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि मार्क अ. ब. स. द पर प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें, अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 714 का बेचान हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से सीधे ही बहस कर प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओ को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वकुलाय बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं उस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण में भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार मौका निरीक्षण व राजस्व रेकर्ड अवलोकन से पुराना ख न 804/4 व 804/10 जो नये ख न कमशः 714 व 713 पूर्व नक्शे के अनुसार सही जगह पर अंकित है। अतः प्रथम दृष्टया वादीगण के सर्वे रिवर्से के दौरान ख न 713 की गलत तरमीम की जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 24/12/2015 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)